

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना अहरौला

हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, एक मोटरसाइकिल बरामद

थाना स्थानीय के ग्राम कोठा मुतलिके भटौली में रामसिंह यादव उम्र करीब 29 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप यादव निवासी ग्राम कोठा मुतलिके भटौली थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ की पुरानी रंजीश व बरचस्व की लड़ाई को लेकर अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ पुल्ली पुत्र राजनरायन निवासी ग्राम मंगारीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व दो व्यक्ति शाहरूख पुत्र साहिम व अलीभेजन उर्फ जावेद पुत्र मु 0 फारूख निवासीगण गौरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी। जिसमें वादी मुकदमा विजय सिंह यादव पुत्र श्री राजाराम यादव ग्रा 0 कोठा मुतलिके भटौली थाना अहरौला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0 75/2021 धारा 302 भादवि बनाम प्रदीप यादव उर्फ पुल्ली पुत्र राजनरायन निवासी ग्राम मंगारीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ व अन्य दो व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल द्वारा की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित वारण्टी अभियुक्त के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक: 30.05.2021 अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी बूढनपुर के कुशल नेतृत्व में मुझ थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल मय हमराही पुलिस बल द्वारा वांछित अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ पुल्ली पुत्र राजनरायन यादव निवासी मंगारीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को केदारपुर पुलिसिया के पास से मय एक अदद मोटर साइकिल पैशन प्रो के साथ समय करीब 05.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ पुल्ली पुत्र राजनरायन यादव उपरोक्त पुछने पर बता रहा है कि मुझ से व मृतक रामसिंह यादव से पुरानी रंजीश व बरचस्व की लड़ाई पूर्व से ही चली आ रही थी जिसमें दिनांक 23.05.2021 को मैं व मेरे साथी शाहरूख व अलीभेजन उर्फ जावेद मिलकर गलादबाकर रामसिंह यादव की हत्या कर दिये थे। आज मैं कहीं दूर भागने के फिराक में था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 75/2021 धारा 302 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

प्रदीप यादव उर्फ पुल्ली पुत्र राजनरायन यादव निवासी मंगारीपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

बरामदगी

01 अदद मोटर साइकिल पैशन प्रो UP 44 U 1499

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्रीप्रकाश शुक्ला मय हमराह हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 सत्येन्द्र यादव, का0 कुलदीप यादव व म0का0 दीपिका गुप्ता

थाना निजामाबाद

छेड़खानी के अभियोग में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.05.2021 को श्रीमती सुनीता देवी थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा खुद की पुत्री जो पड़ोस में बारात देखने गई थी को गांव के ही नितिश पुत्रिक्रमजीत उर्फ विक्की साकिन गंधुवई थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा गलत नियत से छेड़खानी करने व कपड़ा खींचने के आरोप के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 117/21 धारा- 354ख भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त मुकदमें नामजद अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद शिवशंकर सिंह मय हमराहीयान के मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी व कोविड 19 के गाईडलाइन्स का पालन कराने हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त नितिश पुत्र विक्रमजीत उर्फ विक्की साकिन गंधुवई थाना निजामाबाद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है, मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक मय हमराहीयान के ग्राम गंधुवई अभियुक्त के घर पर पहुंचे की हम पुलिस वालों को देखकर बैठा व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा जिसको तत्काल मौके पर ही घर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम नितिश पुत्र विक्रमजीत उर्फ विक्की साकिन गंधुवई थाना निजामाबाद आजमगढ़ उम्र 19वर्ष बताया चूकि मुकदमा उपरोक्त में नितिश उपरोक्त नामजद अभियुक्त है कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 09.15 बजे हिरासत पुलिस में लेकर मा0न्यायालय किया गया।

पूछताछ विवरण- वादिनी द्वारा लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अभियुक्त से पूछताछ किया गया तो अभियुक्त अपना जर्म कबूल कर रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 117/21 धारा- 354ख भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- नितिश पुत्र विक्रमजीत उर्फ विककी साकिन गंधुवई थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्र0नि0 शिवशंकर सिंह मय हमराहीयान थाना निजामाबाद, आजमगढ़

साइबर सेल आजमगढ़ :

पंजाब में तैनात सैनिक के साइबर अपराधियों द्वारा निकाले गए 40000 रुपये, साइबर सेल ने कराया वापस।

दिनांक 26.05.2021 को शिकायतकर्ता मोनू शर्मा ने जरिए मोबाइल नंबर शिकायत दर्ज कराया कि मैं मुबारकपुर आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और वर्तमान समय पंजाब में आर्मी में तैनात हूँ। मेरे एसबीआई खाते से ₹40000 रुपये साइबर अपराधियों ने फ्रॉड करके पेटीएम में ट्रांसफर कर दिया है जिससे मैं अत्यंत परेशान हूँ और यहाँ मेरी शिकायत दर्ज नहीं हो पा रही है, कृपया मेरी मदद करिए। इस पर साइबर सेल आजमगढ़ ने शिकायत दर्ज कर तुरंत कार्यवाही करते हुए फर्जी तरीके से निकले हुए मोनू शर्मा के खाते में ₹40000 रुपये साइबर अपराधी के paytm खाते से वापस कराया। कार्यवाही से खुश होकर शिकायतकर्ता ने साइबर सेल एवं आजमगढ़ पुलिस की तारीफ किया।

थाना बिलरियागंज

अवैध चाकू (चापड़) के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 अवधेश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा आज दिनांक 30.05.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूम जरायम के दृष्टीगत देखभाल क्षेत्र में भीमबर बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिला कि एक व्यक्ति करमैनी गाँव से पैदल चाँदपट्टी बाजार की तरफ आ रहा है उसके पास नाजायज चाकू हैं। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराही को मकसद बताते हुए मय मुखबीर के वहाँ से प्रस्थान कर करमैनी गेट के करीब पहुँचा कि मुखबिर ने इशारा करके बताया जो व्यक्ति पैदल आ रहा है वही है, कह के हट बढ़ गया कि करमैनी गेट पर ही आने वाले व्यक्ति को एकाएक घेर घार कर पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो उसने अपना नाम सरफराज पुत्र अकबर निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष बताया इसके पहने हुए पैन्ट के फेटे से एक अदद खुसा हुआ एक अदद चाकू (चापड़) लोहे की बरामद हुआ जिसे अन्तर्गत धारा 4/25 A. ACT.का अपराध बताकर समय करीब 12.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 97/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सरफराज पुत्र अकबर निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

बरामदगी -

01अदद अवैध चाकू (चापड़)।

घटनास्थल-

करमैनी गेट ग्राम करमैनी थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1-उ0नि0 अवधेश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

2- हे0का0 सुरेन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

3- का0 अजय सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।